

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या-67/2019

पिंकी देवी बनाम् झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख
सहित

18/02/2022

--: आदेश ::--

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ में दायर राज्यसात वाद संख्या-30/2016 ट्रक संख्या-JH-12C-8663 के स्वामी में दिनांक-29.04.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी पिंकी देवी, पति-स्व० राकेश कुमार, साकिन-हॉस्पिटल रोड़, नवादा, पो०+जिला-नवादा (बिहार) द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा-52(A) के तहत दायर अपील आवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि राज्यसात वाद संख्या-30/2016 ट्रक संख्या-JH-12C-8663 के स्वामी में निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक-29.04.2019 को पारित आदेश विधिपूर्ण एवं पोषणीय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी की ओर से उपस्थापित दस्तावेज एवं कागजातों को बिना अनुशीलन किए हुए आदेश पारित किया गया है। इनका यह भी कहना है कि माण्डू (कुजू) थाना काण्ड संख्या-71/2016, दिनांक-20.02.2019, धारा-379/411/34 भारतीय दण्ड विधान, 30(ii) कोल माईन्स एक्ट एवं भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के तहत प्राथमिकी दर्ज के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात की कार्रवाई की गई है, जो आपस में विरोधाभाष है। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी दैनिक डायरी तथा वन पदाधिकारी का बयान/प्रतिवेदन में जप्त स्थल से सम्बन्धित भूमि यथा खाता/प्लॉट आदि का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि जप्त वाहन में लदा कोयला वन भूमि क्षेत्र अन्तर्गत उत्खनित कोयला है। इन्होंने अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या-30/2016 ट्रक संख्या-JH-12C-8663 के स्वामी में विधिवत वाहन स्वामी को कारण-पृच्छा नोटिस करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के तहत दोषी मानते हुए जप्त वाहन एवं उसमें लदा कोयला पर भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-52(3) के तहत राज्यसात किया गया है, जो विधि-सम्मत है। इन्होंने दायर अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

82

निष्कर्ष :-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, निम्न तथ्य स्पष्ट है :-

1. प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या-30/2016 ट्रक संख्या-JH-12C-8663 के स्वामी में दिनांक-29.04.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में भारतीय वन अधिनियम की धारा-52(A) के तहत अपील दायर किया गया है।
2. निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा रखे गये पक्ष तथा माण्डू (कुजू) थाना काण्ड संख्या-71/2016, दिनांक-20.02.2019 से सम्बन्धित दैनिक केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त ट्रक संख्या-JH-12C-8663 में लदा कोयला वन भूमि क्षेत्र अन्तर्गत उत्खनित है, जो भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 का उल्लंघन है।
3. निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विधिवत वाहन स्वामी को अपना दावा-दस्तावेज रखने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।
4. जप्त ट्रक संख्या-JH-12C-8663 एवं उसपर लदा कोयला, जो वन भूमि से अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था, के सम्बन्ध में दोषी मानते हुए निम्न न्यायालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-53(3) के तहत राज्यसात करने से सम्बन्धित दिनांक-29.04.2019 को आदेश पारित किया गया है, जो विधि-सम्मत है।

आदेश :-

उक्त परिप्रेक्ष्य में विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्य/पक्ष एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। अतः प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या-30/2016 ट्रक संख्या-JH-12C-8663 के स्वामी में दिनांक-29.04.2019 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

शाधवी शिष्टा
18.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवी शिष्टा
18.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।